दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 22.11.2013
निर्णय उद्घोषित: 06.12.2013

सिविल वाद (मूल पक्ष) 347/2010 में अं.आ. सं.19812/2012 (सि.प्र.स.आदेश 6 नियम 17 के तहत)

अरविन्द गर्ग .....वादी

द्वारा : श्री ललित गुप्ता, सुश्री पायल गुप्ता और श्री पी. गौतम अधिवक्तागण के साथ व्यक्तिगत रूप से वादी।

बनाम

नीता सिंघल .....प्रतिवादी

द्वारा : श्री शोएब शकील और श्री शिशिर कुमार, अधिवक्तागण

कोरमः
माननीय श्री न्यायमूर्ति जयंत नाथ,

<u>न्या. जयंत नाथ,</u>
<u>अं.आ. सं. 19812/2012 (सि.प्र.स.आदेश 6 नियम 17 के तहत)</u>

1. वादी ने अपनी पत्नी, प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा, स्थायी और अनिवार्य व्यादेश के लिए वर्तमान वाद दायर किया है। वादी का प्रतिवाद है कि वर्ष 2002 से 2009 की अवधि के दौरान उसने अपनी आय और धन के स्रोत से कई चल और अचल संपत्तियां खरीदीं। आगे यह भी प्रकथन किया गया कि कुछ अचल संपत्तियों को प्रतिवादी, अपनी पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदा गया था, जबकि कुछ संपत्तियों को प्यार और स्नेह के कारण प्रतिवादी के एकल नाम पर खरीदा गया था। अतः, उसने वर्तमान वाद दायर कर उक्त संपत्तियों पर अनन्य स्वामित्व का दावा किया है और उन्होंने स्वयं को उक्त चल एवं अचल संपत्तियों का मालिक घोषित करने की घोषणा की मांग की है।

2. वर्तमान आवेदन सि.प्र.स. आदेश 6 नियम 17 के तहत वादपत्र के संशोधन के लिए दायर किया गया है।

3. आवेदन में कहा गया है कि वादी ने पक्षकारों की बेटी को एक आवश्यक और उचित पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए आदेश 1 नियम 10 सि.प्र.स. के तहत अं.आ. सं.13237/2010 दायर किया था। इस आवेदन को दिनांक. 05.07.2011 को अनुमति दी गई थी। यह कहा गया है कि आदेश 1 नियम 10 सि.प्र.स के तहत अतिरिक्त प्रतिवादी को शामिल करने के परिणामस्वरूप, मौजूदा वादपत्र को आदेश 1 नियम 10 (4) सि.प्र.स के तहत

उचित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है। आगे यह कहा गया है कि प्रतिवादी ने लिखित बयान में विभिन्न आपत्तियाँ उठाई हैं।

4. यह आगे कहा गया है कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, पैराग्राफ और/या पंक्तियों को जोड़कर और/या हटाकर मौजूदा वाद में संशोधन करना लगभग असंभव है। कहा जाता है कि वादी ने वाद के संशोधन के लिए आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.स. के तहत पहले आवेदन दायर किया था। हालाँकि, यह कहा गया है कि चूंकि इस न्यायालय का विचार था कि प्रस्तावित संशोधन को आवेदन में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए, अत: संशोधन के लिए पहले के आवेदन यानी अं.आ. सं. 13238/2010 को नए संशोधन आवेदन को दायर करने के लिए अनुमति और स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था।

5. वर्तमान आवेदन अब वादपत्र में संशोधन के लिए दायर किया गया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

7. वादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अब जो संशोधन मांगे जा रहे हैं, वे प्रतिवादी संख्या 2 को एक पक्षकार के रूप में जोड़ने के परिणामस्वरूप हैं। आगे यह कहा गया है कि किसी भी स्वीकृति को वापस लेने की मांग नहीं की गई है और कोई राहत जोड़ने की मांग नहीं की गई है जो समय द्वारा वर्जित है। केवल कब्जे की अतिरिक्त राहत मांगी जा रही है। वह

मेसर्स एस्ट्राला रबर बनाम दास एस्टेट (प्रा.) लिमिटेड, एआईआर 2001 एससी 3295 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया निवेदन करने के लिए कि अभिवचन के प्रत्येक संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें पक्षों के बीच विवाद के उचित और प्रभावी निर्णय के लिए और न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता से बचने के लिए ऐसा संशोधन आवश्यक हो, बशर्ते कि कुछ शर्तें हों, जैसे कि संशोधन की अनुमति देने से दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और एक समयबद्ध दावे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि प्रस्तावित संशोधन वाद के प्रत्येक पैरा में संशोधन करना चाहता है। आवेदन में यह उल्लेख नहीं है कि वादपत्र के किस भाग में संशोधन करने की मांग की गई है, क्या जोड़ा जा रहा है और क्या हटाया जा रहा है।

9. सबसे पहले मैं वादी के लिए विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार करूंगा, अर्थात्, वर्तमान संशोधन आवेदन द्वारा, कोई भी राहत जो समय द्वारा वर्जित है, को जोड़ने की मांग नहीं की जाती है, कोई स्वीकृति वापस लेने की मांग नहीं की जाती है और इस प्रकार संशोधनों के बाद वादपत्र की प्रकृति समान रहती है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस तर्क का

विरोध किया है। हालाँकि, जब प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता से यह बताने का अनुरोध किया गया था कि प्रस्तावित संशोधनों का कौन सा हिस्सा मामले की प्रकृति को बदल देता है, तो वह ऐसा करने में असमर्थ थे।

10. परन्तु इससे मामला नहीं सुलझता। प्रस्तावित संशोधन वस्तुतः पूरे वादपत्र को वस्तुतः नए वादपत्र से प्रतिस्थापित करने के बराबर है। प्रस्तावित संशोधनों के अवलोकन से पता चलेगा कि मूल पक्षपत्र के प्रत्येक पैरा अर्थात् पैरा 1 से 18 को नए पैरा से प्रतिस्थापित करने की मांग की गई है। प्रस्तावित संशोधन में क्या शामिल करने की कोशिश की गई है, यह इंगित करने का कोई प्रयास नहीं है। जिन पंक्तियों, वाक्यांशों और शब्दों को जोड़ा या हटाया जा रहा है, उनका वर्तमान आवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है। इस आवेदन को पढ़ने से यह समझना संभव नहीं है कि क्या संशोधित किया जा रहा है या क्या हटाया जा रहा है या क्या जोड़ा जा रहा है। आवेदन में जो उल्लेख किया गया है वह यह है कि प्रस्तावित संशोधन के लागू होने के बाद पैराग्राफ को किस तरह पढ़ा जाएगा। इसलिए, यह पता लगाना संभव नहीं है कि क्या कोई नया वाद हेतुक पेश किया जा रहा है, क्या किए गए स्वीकृति को बदलने की मांग की जा रही है, इत्यादि। यह भी पता लगाना संभव नहीं है कि क्या प्रस्तावित संशोधन पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक हैं।

11. ***केदार नाथ एवं अन्य बनाम राम प्रकाश, 76 (1998) डीएलटी 755*** के मामले में इस उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। इस फैसले के पैरा 17 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

> "17. कोई भी पक्ष, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, अपने अभिवचन में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, उसे एक समुचित आवेदन करना होगा जिसमें विशेष रूप से (i)अतिरिक्त अभिवचन जिसे जोड़ा जाना चाहिए, (ii) अभिवचन जिसे हटाया या बदला जाना चाहिए, ताकि न्यायालय प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति और सीमा तथा संशोधन के लिए प्रार्थना को अनुमति देने या अस्वीकार करने के अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ उसके विधिक निहितार्थों के बारे में स्पष्ट रूप से राय बना सके: एक बार संशोधन की अनुमति मिलने के बाद, यदि संशोधन मामूली, नगण्य या केवल लिपिकीय है, तो इस तरह के संशोधन को लाल स्याही का उपयोग करके मूल अभिवचन में शामिल किया जा सकता है और इसे बनाने वाले पक्ष द्वारा आरंभ और दिनांकित किए जाने के बाद कोर्ट मास्टर या न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। यदि संशोधन चरित्र में सारवान है तो मूल अभिवचन की सभी सामग्री को निर्धारित करते हुए एक संशोधित अभिवचन दायर किया जाना चाहिए; इससे पहले लाल स्याही पेन का उपयोग करके ऐसे भागों पर एक ही रेखा खींचकर, जिन्हें न्यायालय की अनुमति से हटा दिया गया है; और अदालत द्वारा जोड़े जाने के लिए अनुमत भागों को या तो लाल स्याही से टाइप करके या उन्हें लाल या पीले रंग में चिन्हित करके निर्धारित किया जाना

> चाहिए। इस पद्धति की उपयोगिता यह है कि सफेद स्याही या उसे लाल या पीले रंग में चिन्हित करके इसे बनाया जा सकता है। इस पद्धति की उपयोगिता यह है कि किसी पक्ष के मामले का मूल्यांकन करते समय, न्यायालय यह जान सकता है कि मूल रूप से पक्ष द्वारा कौन सा मामला दायर किया गया था और संशोधन के माध्यम से कौन सा मामला दायर किया गया था। कभी-कभी यह न्यायाधीश के लिए मुकदमे में शामिल पक्ष द्वारा बताए गए मामले की विश्वसनीयता पर निर्णय देने में अत्यधिक उपयोगी होगा।"

12. ***गुरदयाल सिंह बनाम राज कुमार अनेजा, (2002)2 एससीसी 445*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है। पैरा 13 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> **13.** ..... जब तक न्यायालय को यह नहीं बताया जाता है कि मूल रूप से न्यायालय में प्रस्तुत अभिवचन को कैसे और किस तरीके से बदला या संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, तब तक न्यायालय संशोधन की अनुमति देने के लिए अपनी शक्ति का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है। एक संशोधन में पहले की गई स्वीकृति को वापस लेना शामिल हो सकता है, एक याचिका या दावे को पेश करने का प्रयास किया जा सकता है जो सीमा द्वारा वर्जित है, या, इस तरह से तैयार किया जा सकता है कि विरोधी पक्ष को समय के अंतराल से अर्जित एक मूल्यवान अधिकार से वंचित किया जा सके। इसलिए, संशोधन आवेदक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने आवेदन में, जिसमें वह अभिवचन में संशोधन के

> लिए न्यायालय की अनुमति मांग रहा है, स्पष्ट रूप से बताए कि मूल दलील में क्या हटाया जाना है, क्या बदला जाना है, क्या प्रतिस्थापित किया जाना है या क्या जोड़ा जाना है का प्रस्ताव है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में एक संशोधन को भी ध्यान में रखा जो पंजाब और हरियाणा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू है, जहां आदेश 6 नियम 17 उप खंड 2 जोड़ा गया है जो इस प्रकार है:-

> "17.(2) संशोधन के लिए प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में होगा और उसमें उन विशिष्ट संशोधनों का उल्लेख होगा जिन्हें किया जाना है, तथा मूल अभिवचनो में जोड़े जाने, छोड़े जाने या प्रतिस्थापित किए जाने वाले शब्दों या अनुच्छेदों का संकेत दिया जाएगा।"

14. अतः उक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जब कोई पक्ष अभिवचनों के संशोधन के लिए आवेदन करता है, तो उसे यह बताना चाहिए कि मूल अभिवचनों में क्या हटाने, बदलने, प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रस्ताव है। वर्तमान आवेदन में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है।

15. उपरोक्त के अतिरिक्त, मेरे विचार में, संशोधन की अनुमति अन्यथा भी नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह वस्तुतः एक नए वाद के साथ पूरे वाद को बदलने के समान है।

16. आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.स. निम्नलिखित प्रावधान करता हैः-

> "17. अभिवचनों का संशोधन। - न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर किसी भी पक्ष को अपने अभिवचनों को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है जो न्यायसंगत हों, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षों के बीच संविवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के उद्देश्य से आवश्यक हों:"

17. अतः, उपरोक्त प्रावधान पक्ष को अपने अभिवचनों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति देता है। हेनरी कैंपबेल द्वारा ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठे संस्करण-1996 में "परिवर्तन" का अर्थ इस प्रकार हैः

> **"परिवर्तन:** परिवर्तन करना; संशोधित करना; कुछ हद तक बदलना; पूरी तरह से नई चीज़ को प्रतिस्थापित किए बिना या प्रभावित चीज़ की पहचान को नष्ट किए बिना कुछ तत्वों या अवयवों या विवरणों को बदलना। आंशिक रूप से बदलना। एक या अधिक मामलों में परिवर्तन करना, लेकिन वस्तु के अस्तित्व या पहचान के विनाश के बिना परिवर्तन करना; बढ़ाना या घटाना।"

18. हेनरी कैम्पबेल द्वारा लिखित ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठे संस्करण-1996 में „संशोधन" का अर्थ इस प्रकार है:-

> **"संशोधन करना।** सुधार करने के लिए। दोष या दोषों को दूर करके बेहतर के लिए बदलना। बदलने के लिए, सही करने के लिए, संशोधित करने के लिए।

19. वादी वास्तव में जो करना चाहता है वह वास्तव में अभिवचनों को बदलना या संशोधित करना नहीं है, बल्कि पूरे अभिवचनों को पूरी तरह से नए अभिवचनों से बदलना है। मेरे विचार में, आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.स. के तहत पूरी तरह से नए वाद के साथ पुराना वाद के पूर्ण प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं है। सि.प्र.स की धारा 151 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में इस तरह के परिवर्तन की अनुमति देना संभव हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई विशेष परिस्थितियों का अभिवचन या तर्क नहीं दिया जाता है।

20. वर्तमान आवेदन पूरी तरह से बिना किसी गुणागुण है। अत: इसे खारिज कर दिया जाता है।

<u>सिविल वाद (मूल पक्ष) 347/2010 और अं.आ. सं. 15151-52/2013</u>

21. आवेदनों में पहले से तय की गई निर्धारित तिथि 30.01.2014 को सूचीबद्ध करें।

न्या. जयंत नाथ,

06 दिसंबर, 2013/आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*